

**अनुदान संख्या 33 - वित्तीय सेवाएं विभाग**  
**GRANT No. 33-DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original 35446,52,00	36471,54,00	34598,82,22	-1872,71,78
पूरक	Supplementary 1025,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1868,28,50
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original 2967,02,00	5341,00,00	3266,00,00	-2075,00,00
पूरक	Supplementary 2373,98,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2075,00,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में कुल बचतें (187271.78 लाख रु.) दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 102502.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.187271.78 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.102502.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2047"	Major Head "2047"			
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services			
मू.	O.	1042.00	783.83	752.30
पु.	R.	-258.17		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services			
मू.	O.	7964.00		
पु.	R.	-1324.37	6639.63	6255.43
				-384.20
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare			
मू.	O.	3232939.00		
पू.	S.	1.00	3075761.00	3075761.37
पु.	R.	-157179.00		+0.37
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions			
मू.	O.	301100.00		
पू.	S.	1.00	283100.00	283100.00
पु.	R.	-18001.00		..
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals			
मू.	O.	169.00		
पू.	S.	40000.00	30168.26	30168.01
पु.	R.	-10000.74		-0.25

(I) 100000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2416" - "अन्य व्यय - दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना की बहाली" के अंतर्गत एक मामले में अन्य स्कीम लागू किए जाने के लिए प्रारूप पैकेज पर विचार किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.100000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2416" - "Other Expenditure - Revival of Long Term Co-operative Credit Structure" - due to consideration of a draft package for implementation of Other Scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "2885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय - तंगहाल आस्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का मोचन" - 40000.00 लाख रु. की निधि पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थी, तथापि, जो तंगहाल और अनुपयोज्य आस्तियों से कम वसूलियां होने के कारण 10000.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रही।

(III) मुख्य शीर्ष "2047" - "अन्य व्यय - विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों पर मुकदमा) अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन" के अंतर्गत 289.70 लाख रु. की बचत (1042.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण" - 102.67 लाख रु. की बचत (321.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किराया, दरों और करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड" - 209.54 लाख रु. की बचत (1025.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) "ऋण वसूली अधिकरण" - 966.36 लाख रु. की बचत (5018.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, किराया, दरों और करों के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घा) "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान" - 430.00 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध रहने और स्वयं का राजस्व जुटाए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure-Redemption of Securities issued to Stress Assets Stabilisation Fund" - funds of Rs.40000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.10000.00 lakhs - due to less recoveries out of stressed and non-performing assets.

(III) Under Major Head "2047" - "Other Expenditure - Implementation of Special Courts (Trial of offences relating Transaction in Securities) Act, 1992"- saving of Rs.289.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1042.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "2070" - "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction" - saving of Rs.102.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.321.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards rent, rates and taxes and economy measures.

(B) "Board for Industrial and Financial Reconstruction" - saving of Rs.209.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1025.00 lakhs) was due to economy measures.

(C) "Debts Recovery Tribunals" - saving of Rs.966.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5018.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards rent, rates and taxes and economy measures.

(D) "Grants-in-aid to Pension Fund Regulatory and Development Authority" - saving of Rs.430.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and generation of own revenue.

(V) मुख्य शीर्ष "2235" - "कृषकों के लिए ऋण राहत - ऋण राहत/कृषि कर्जों की माफी - कृषि कर्ज माफी और ऋण राहत स्कीम - 2008 के लिए ऋणदाता संस्थाओं को ब्याज की अदायगी" - 169214.63 लाख रु. की बचत (215100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्याज की गणना 9.56 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की कम दर पर किए जाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 54.30 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (94035.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) "मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय" -

(का) "समुदाय आधारित सर्वजन स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों को अदायगी" - 2160.00 लाख रु.।

(खा) "वरिष्ठ नागरिकों संबंधी पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को अदायगी" - 9876.00 लाख रु.।

(II) मुख्य शीर्ष "2416" - "अन्य व्यय" -

(का) "राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को अनुदान" - 79999.00 लाख रु.।

(खा) "वित्तीय समावेश निधि गठित किए जाने संबंधी सरकार के अंशदान के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को अदायगी" - 1000.00 लाख रु.।

(V) Under Major Head "2235" - "Debt Relief for Farmers - Debt Relief/Waiver of Agricultural Loans - Payment of Interest to lending institutions towards Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme - 2008" - saving of Rs.169214.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.215100.00 lakhs) was due to calculation of interest at reduce rates of 4 percent instead of 9.56 percent.

(VI) Under one head saving of Rs.54.30 lakhs occurred constituting 49 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.94035.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Expenditure" -

(A) "Payment to Public Sector General Insurance Companies for Community Based Universal Health Insurance Scheme"- Rs.2160.00 lakhs.

(B) "Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens" - Rs.9876.00 lakhs.

(II) Major Head "2416" - "Other Expenditure" -

(A) "Grant to National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)" - Rs.79999.00 lakhs.

(B) "Payment to National Bank for Agricultural and Rural Development towards Government's Contribution for constitution of Financial Inclusion Fund" - Rs.1000.00 lakhs.

(गा) “वित्तीय समावेश प्रौद्योगिकी निधि गठित किए जाने संबंधी सरकार के अंशदान के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को अदायगी” - 1000.00 लाख रु।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (207500.00 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 237398.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 87 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 39 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

शीर्ष  
मुख्य शीर्ष “5465”  
सामान्य वित्तीय और  
व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

Head  
Major Head “5465”  
Investment in General Financial  
and Trading Institutions

मू.	O.	216700.00	246600.00	246600.00	..
पू.	S.	237398.00			
पु.	R.	-207498.00			

(I) 216703.00 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 216700.00 लाख रु. “सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) “राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की साझीदारी की अधिग्रहण लागत” - 110000.00 लाख रु.; और

(खा) “राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की साझीदारी की अधिग्रहण लागत” - 44200.00 लाख रु.।

(C) “Payment to National Bank for Agricultural and Rural Development towards Government’s Contribution for constitution of Financial Inclusion Technology Fund” – Rs.1000.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.207500.00 lakhs) constituted 87 percent of the supplementary grants of Rs.237398.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 39 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

(I) Provision of Rs.216703.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.216700.00 lakhs accounted for under - “Investment in General Financial Institutions – Investment in Public Sector and Other Undertakings” – under the following heads:-

(A) “Acquisition cost of RBI stake in National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)” – Rs.110000.00 lakhs; and

(B) “Acquisition cost of RBI stake in National Housing Bank (NHB)” – Rs.44200.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) “प्रतिभूति मोचन निधि” - 62500.00 लाख रु. अनुदान के अन्य भाग के अंतर्गत उसी स्कीम का प्रचालन किए जाने के कारण थे।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (9203.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि “सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्तर-I लिखत में उनकी पूंजीगत निधियों को बढ़ाने के लिए अभिदान” के अंतर्गत 110798.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-completion of procedural formalities.

(C) “Security Redemption Fund” – Rs.62500.00 lakhs - due to operation of the same scheme under the other section of the grant.

4. The above savings were partly (Rs.9203.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.110798.00 lakhs under “Investment in General Financial Institutions – Investment in Public Sector and Other Undertakings - Subscription in Tier-I instrument of Nationalised Banks to augment their capital funds”.